

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(32) ग्रावि/गुप-5/सां./PMAY-G/Remand Module /2018-19 जयपुर, दिनांक 4 सितम्बर, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र)  
समस्त राजस्थान।


**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सेक-2011 सूची में शामिल स्थायी पलायन कर गये लाभार्थियों को Remand Module द्वारा वरीयता सूची से हटाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत वरीयता सूची में शामिल परिवारों को वर्गवार वरीयता क्रम में लाभ दिये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में वरीयता क्रम में शामिल परिवारों को योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के परीक्षण उपरान्त अपात्र पाये जाने पर आवाससॉफ्ट पर Remand Module का उपयोग कर वरीयता सूची से हटाये जाने का प्रावधान है।


योजनान्तर्गत जिलों द्वारा Remand Module पर लाभार्थी की मृत्यु, पूर्व में लाभान्वित, सरकारी सेवा में कार्यरत, पक्का मकान, स्थायी पलायन आदि कारणों से अपात्र मानते हुए प्रकरण दर्ज किये हैं।

उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि जिन लाभार्थियों को स्थायी रूप से पलायन मानते हुए Remand Module पर दर्ज किया गया है उन लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतवार/पंचायत समितिवार, ग्राम पंचायत /पंचायत समिति के मुख्य स्थानों पर चस्पा किया जावे, साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में इस आशय के साथ निम्न परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत लाभ हेतु पात्र है अतः दस्तावेजों के साथ 15 दिवस में संबंधित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति में सम्पर्क करें, योजनान्तर्गत पंजीकरण करावे अन्यथा आपका नाम वरीयता सूची से हटा दिया जावेगा, की अपील स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावे। निर्धारित अवधि में उक्त में से जिन लाभार्थियों द्वारा आवास योजना का लाभ लिये जाने हेतु सम्पर्क नहीं किया जाता है, तदुपरान्त उक्त लाभार्थियों का स्थायी पलायन मानते हुए, वरीयता सूची Remand Module के द्वारा हटाये जाने हेतु प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किये जावे।

भवदीय,  
  
(जयपाल सिंह मेडतिया)  
स्टेट नोडल अधिकारी  
(पीएमएवाईजी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।

  
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि